पत्र संख्या–बा0नि0रुपां0प्र0–02–तक0(अना0)–220 / 2026–

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषकः–

ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियन्ता प्रमुख, मुख्यालय,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियन्ता,
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड,
संचरण जोन, पटना।
(ई0मेल–tz.patna@bsptcl.gov.in)

/पटना–2, दिनांक–

विषयः– PMCH में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु प्रथम श्रोत के रूप में 132 kv Double सर्किट हाजीपुर–पी0एम0सी0एच0 Transmission लाईन के निर्माण हेतु गंगा नदी में टावरों के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निमित्त प्रथम चरण अन्तर्गत सैद्धान्तिक सहमति के संबंध में।

प्रसंगः– कार्यपालक अभियन्ता, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, संचरण प्रमण्डल, पटना (मध्य) का पत्रांक–611 दिनांक–03.11.2025.

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रासंगिक पत्र एवं अनुशंसा के आलोक में निदेशानुसार मुख्य अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना के परिक्षेत्राधीन गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल, दीघा के अन्तर्गत PMCH में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु प्रथम श्रोत के रूप में 132 KV Double सर्किट हाजीपुर–पी0एम0सी0एच0 Transmission लाईन के निर्माण हेतु गंगा नदी में टावरों के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निमित्त प्रथम चरण अन्तर्गत सैद्धान्तिक सहमति निम्नवत् जलीय आंकड़ों एवं शर्तो के साथ निर्गत किया जाता हैः–

जलीय आंकड़ेः–

पी0 एम0 सी0 एच0 में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु प्रथम श्रोत के रूप में 132 के0 वी0 डबल सर्किट हाजीपुर–पी0 एम0 सी0 एच0 ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु गंगा नदी में टावरों के निर्माण हेतु संरचना का रूपांकण कार्य निम्नांकित जलीय आँकड़ों के अनुरुप किया जायः–

Sl. No.	Hydrological Parameter	Data
1	Name of River	Ganga
2	Discharge of River	97000 Cumec

3	LWL of River		42.70 M
4	HFL of River		52.60 M
5	NSL of both side of Bank		49.00 M

शर्तेः–

1. पी0 एम0 सी0 एच0 में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु प्रथम श्रोत के रूप में 132 के0 वी0 डबल सर्किट हाजीपुर–पी0 एम0 सी0 एच0 ट्रांसमिशन लाईन के गंगा नदी भाग में ट्रांसमिशन टावर संख्या–41 (Latitude-25.661069 & Longitude-85.227006) से ट्रांसमिशन टावर संख्या–66 (Latitude-25.622514 & Longitude-85.156272) तक अर्थात कुल 26 टावरों के निर्माण निमित्त प्रथम चरण अन्तर्गत सैद्धान्तिक सहमति निर्गत किया जा रहा है।
2. ट्रांसमिशन टावर के निर्मान में सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व एवं देयता बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना का होगा।
3. स्थापित ट्रांसमिशन लाईन टावर संख्या–66 का निर्माण गंगा चैनल के दक्षिणतम छोर पर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड इस तरह किया जाये कि चैनल में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो।
4. प्रस्तावित कार्य में ट्रांन्समिशन लाईन ओवर हेड तरीके से निर्मित किया जायेगा, जो गंगा नदी Across होगा एवं ट्रांसमिशन लाईन गंगा नदी के HFL +20 M से अधिक ऊँचाई से प्रावधानित/निर्मित करने की सम्पूर्ण जबाबदेही बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना का होगा।
5. प्रस्तावित ट्रांन्समिशन लाईन का निर्माण कार्य भारतीय मानक संहिताओं एवं अन्य संगठनों द्वारा निर्धारित सुसंगत मानकों एवं विशिष्टि के अनुरूप क्रियान्वित किये जाने का सम्पूर्ण दायित्व एवं देयता बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना का होगा।
6. Tower Foundation के निर्माण के पूर्व गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल, दीघा, पटना के अभियन्ताओं के साथ समन्वय स्थापित कर अग्रेतर कार्रवाई करेंगे, ताकि भविष्य में जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तावित किसी भी योजना के क्रियान्वयन में टावर निर्माण के कारण कोई बाधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए।
7. प्रस्तावित निर्माण कार्य के दौरान सभी अपेक्षित सुरक्षा मानकों एवं सुरक्षात्मक उपायो का पूर्णतः अनुपालन करना/कराना होगा। कार्यस्थल के आवश्यक स्थलों पर Danger Post लगाना होगा, जिससे कि आमजनों इत्यादि का इस ओर ध्यान आकृष्ट हो सके। निर्माण कार्य के दौरान किसी प्रकार का अड़चन/दुर्घटना/अनदेखी की पूरी जवाबदेही बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना का होगा।

8. प्रस्तावित कार्य हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिसूचना संख्या–645 दिनांक 24.02.2022 (संशोधित पत्र) की कंडिका–23 की उपविधि (1) से (4) तक PTP Wall से संबंधित दिशा–निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा।

9. प्रस्तावित कार्य समाप्ति के उपरान्त स्थल पर बचे हुये किसी प्रकार के अवशेष निर्माण सामग्री/खुदाई के क्रम में Excavated Materials को पूर्ण रूप से हटाना होगा।

10. नदी का Morphology अक्षुण्ण रखना होगा। बाढ़ अवधि में पुल निर्माण के पास नदी के Behaviour की सतत् निगरानी एवं आवश्यकतानुसार जल संसाधन विभाग को सूचना देकर बाढ संघर्षात्मक/सुरक्षात्मक कार्य कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी एवं देयता बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना एवं इस संबंध में जल संसाधन विभाग के अभियंताओं का परामर्श/दिशा निर्देश का शत प्रतिशत अनुपालन करना होगा।

11. कार्य के दौरान गंगा नदी के धारा/जलप्रवाह को किसी भी परिस्थिति में अवरूद्ध नहीं करना होगा ताकि जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।

12. प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु यदि भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होगी तो उक्त के संबंध में नियमानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करने का दायित्व एवं देयता बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना का होगा।

13. प्रस्तावित निर्माण परियोजना के निर्माण से जल संसाधन विभाग के स्वामित्व वाले भाग का स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा अर्थात् जल संसाधन विभाग का स्वमित्व यथावत् बना रहेगा।

14. प्रस्तावित निर्माण परियोजना के कार्य के पश्चात् संरचना की मरम्मति एवं संपोषण का कार्य एवं व्यय का वहन बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना का होगा।

15. प्रस्तावित निर्माण कार्य के समय जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करना होगा।

16. प्रस्तावित निर्माण परियोजना के कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति एवं महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/कार्यपालक अभियन्ता को ससमय देना होगा।

17. प्रस्तावित निर्माण परियोजना के निर्माण में जल संसाधन विभाग से संबंधित किसी भी प्रकार के Dispute की स्थिति में जल संसाधन विभाग का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।

18. बिहार सरकार जल संसाधन विभाग का आदेश सह ज्ञापांक–यो०मो०–4(विविध) 07–372/2020 पार्ट–II–143/पटना दिनांक–06.03.2025 द्वारा बिहार राज्य अंतर्गत तटबंधित नदियों के लिए लागू किए गये **Flood Plain Zoning** के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।

19. विभागीय पत्रांक–608, दिनांक–05.08.2024 की कंडिका–7 एवं 8 का अनुपालन अनिवार्य होगा।

20. यह प्रथम चरण अन्तर्गत सैद्धान्तिक सहमति पत्र मात्र जल संसाधन विभाग, बिहार की तरफ से है। उक्त के अतिरिक्त अन्य केन्द्रीय संगठनों/आयोगों एवं बिहार सरकार के अन्य विभागों से अनापत्ति प्रमाण–पत्र अलग से प्राप्त करने का दायित्व बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना का होगा।

21. प्रथम चरण के अन्तर्गत सैद्धान्तिक सहमति में दिये गये शर्तो को समाहित करते हुए द्वितीय चरण के अन्तर्गत अंतिम रुप से अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय रुपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना को समर्पित करना अनिवार्य होगा।

22. द्वितीय चरण अन्तर्गत अंतिम रुप से अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के प्रस्ताव के साथ इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि **"प्रस्तावित संरचना का रुपांकण एवं आलेख्य संबंधी अभिलेख सक्षम तकनीकी प्राधिकार से अनुमोदित है।"**

23. उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन नहीं करने पर प्रथम चरण अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निमित्त निर्गत सैद्धान्तिक सहमति रद्द कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/–
(ब्रजेश मोहन)
अभियन्ता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक–बा0नि0रुपां0प्र0–02–तक0(अना0)–220/2026– /पटना–2, दिनांक–

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, अदालतगंज, पटना को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह0/–
(ब्रजेश मोहन)
अभियन्ता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक–बा0नि0रुपां0प्र0–02–तक0(अना0)–220/2026– /पटना–2, दिनांक–

प्रतिलिपिः–अभियन्ता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना/अधीक्षण अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, पटना/कार्यपालक अभियन्ता, गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमण्डल, दीघा को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(ब्रजेश मोहन)
अभियन्ता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक–बा0नि0रुपां0प्र0–02–तक0(अना0)–220 / 2026– 266 / पटना–2, दिनांक– 13/7/2026

प्रतिलिपिः–कार्यपालक अभियन्ता, आई0 टी0, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

13/7/26

(ब्रजेश मोहन)
अभियन्ता प्रमुख, मुख्यालय।